2022/392

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना–कुचामन)

| वादी | | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| देवीलाल | बनाम | कैलाश वगैरह |

किस्म प्रकरण : वाद पत्र — संख्या –244 / 2022

| तारिख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये। |
|---|---|---|
| 16.10.2024 | वकील वादी गैर हाजिर। वकील वादी एवं पक्षकारान को बार–बार आवाजे लगवाई गई। बावजूद सूचना तारीख पेशी एवं आवाजे लगाने पर भी वकील वादी एवं पक्षकारान उपस्थित नहीं आये। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज दिनांक 18.10.2022 से प्रतिवादीगण की तलबी में लम्बित चल रहा है। वकील वादी का प्रतिवादीगण की तलबी हेतु अनेक अवसर दिये गये है तथा दिनांक 14.09.2023 को प्रतिवादीगण की तलबी कराने हेतु वकील वादी को हिदायत दी गई। परन्तु वकील वादी द्वारा न्यायालय आदेश की पालना आदिनांक तक नहीं की है। अतः प्रकरण हाजा में बावजूद तारीख पेशी सूचना एवं बार–बार आवाजे लगाने पर भी वकील वादी एवं पक्षकारान के उपस्थित नहीं आये। इसी प्रकार वकील वादी को प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सीपीसी नियमों के प्रावधान अनुसार पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी प्रतिवादीगण की तलबी पेश नहीं की है। अतः वादी का वाद अधीन धारा 88, 53 आर.टी.एक्ट 1955 प्रतिवादीगण की तलबी कराने संबंधी न्यायालय आदेश की पालना नहीं किये जाने पर सीपीसी प्रावधान अनुसार आदेश 09 नियम 05 के तहत अदम तकमील में एवं नियत तारीख पेशी पर गैर हाजिर रहने पर अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रकरण अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। <br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>नावां (डीडवाना-कुचामन) | |